A 9/1

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 44 / 2021
पवन मोदी पुत्र श्री चिरंजीलाल मोदी, जाति महाजन, निवासी अजीतगढ, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज0)।

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार मण्डावा, तहसील व जिला झुंझुनूं (राज0)।

—— रेस्पोडेन्ट

——

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 20.04.2021 मुकदमा उनवानी सरकार बनाम पवन मोदी, मुकदमा नं. 02/2021 अ0धारा 91 एल0आर0 एक्ट

——

उपस्थित–

1. श्री राजेश बागोरिया, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर

आदेश

दिनांक 16.08.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 20.04.2021 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र स्थगन एवं प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 के पेश हुई। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट के अनुसार संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का अजीतगढ ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि ग्राम अजीतगढ स्थित भूमि खसरा नम्बर 182 कुल रकबा 4.25 हैक्टेयर गै0मु0 बणी मे से 700 वर्गमीटर भूमि पर अतिकमी पवन मोदी पुत्र चिरंजीलाल मोदी, जाति महाजन निवासी अजीतगढ ने 700 वर्गमीटर भूमि पर पत्थर लगाकर तारबन्दी कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल अपीलान्ट को राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित होकर जवाब नोटिस मय ग्राम पंचायत अजीतगढ सरपंच द्वारा जारी पट्टा पेश किया गया जो शामिल

कलक्टर झुंझुनूं

पत्रावली किया गया। मामले का दिनांक 20.04.2021 को प्रार्थी को बिना सुने ही निर्णय कर दिया एवं प्रार्थी को अतिक्रमी मानकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया इससे व्यथित होकर यह अपील निम्नलिखित अनुसार पेश है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.04.2021 खिलाफ कानून एवं पत्रावली है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये एवं बिना मौका रिपोर्ट तैयार किये प्रार्थी को बिना सुने ही उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट्स के विरूद्व धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है। तथाकथित अतिक्रमण काफी पुराना है और वास्तविक रूप से मौके पर उक्त भूमि पर आबादी बसी हुई है। प्रार्थीगण के पास अपने पिता के समय का वादग्रस्त भूमि का ग्राम पंचायत अजीतगढ से दिनांक 28.09.1969 कुल क्षेत्रफल 675 वर्गगज का आवासीय पट्टा संख्या 63 जारी किया हुआ है जो ग्राम पंचायत अजीतगढ के प्रस्ताव संख्या 08 से राशि 175.50 रूपये जरिये रसीद संख्या 22.08.1971 के जमा होने पर जारी हुआ था तथा दूसरा आवासीय पट्टा श्रीमान् जिला कलक्टर झुंझुनूं की आज्ञा संख्या 1146–50 दिनांक 25.04.1977 द्वारा एवं राजस्थान सरकार की आज्ञा संख्या 2 (53)राज/3/77 दिनांक 28.04.1977 द्वारा जरिये रसीद संख्या 74 दिनांक 30.04.1977 के जमा होने पर दिनांक 30.04.1977 को पट्टा संख्या 74 कुल क्षेत्रफल 150 वर्गगज का जारी किया हुआ था। उक्त दोनो आवासीय पट्टे प्रार्थी के पिता के नाम से जारी किये गये हुए है। राजनैतिक दबाव के कारण बिना मौके की जांच किये ही प्रार्थीगण के विरूद्व उक्त गलत कार्यवाही करवाई है। मौके पर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 182 रकबा 4.25 हैक्टेयर बसी हुई है जिसमे करीब 30–35 परिवार मय परिवार पक्के मकानात् बना रखे है मय परिवार रहवास कर रहे है। मौके पर रहवास करने वाले लोगों के पास विघुत एवं पानी के कनेक्शन है। प्रार्थीगण के पास रहने के लिए और कोई पर्याप्त जगह नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रिज्यूडिश होकर कार्यवाही की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानने मे भारी कानूनी भूल की है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट को साक्ष्य से साबित नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मामले मे प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत जाकर उक्त निर्णय पारित किया है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब तक प्रार्थीगण के पास ग्राम पंचायत अजीतगढ द्वारा जारी पट्टा सिविल न्यायालय से निरस्त नही करवाया दिया जाता है तब तक प्रार्थीगण को अतिक्रमी नही मान सकते। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण को अतिक्रमी मानने मे भारी कानूनी भूल की है। मामले मे बिना बहस सुने ही अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर की तारीफ मे नही आता है। अदालत मातहत का निर्णय इलिगल परवर्स एवं विदाउट ज्यूरिडिक्शन है। अतः अपील अपीलान्ट्स प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट्स अपील स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अदालत मातहत नायब तहसीलदार मण्डावा दिनांक 20.04.2021 को निरस्त फरमाया जाकर पुनः सुनवाई हेतु मामला अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये एवं बिना मौका रिपोर्ट तैयार किये प्रार्थी को बिना सुने ही उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट्स के विरूद्व धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है। तथाकथित

जिला कलक्टर झुंझुनूं

अतिक्रमण काफी पुराना है और वास्तविक रूप से मौके पर उक्त भूमि पर आबादी बसी हुई है। प्रार्थीगण के पास अपने पिता के समय का वादग्रस्त भूमि का ग्राम पंचायत अजीतगढ से दिनांक 28.09.1969 कुल क्षेत्रफल 675 वर्गगज का आवासीय पट्टा संख्या 63 जारी किया हुआ है तथा दूसरा आवासीय पट्टा श्रीमान् जिला कलक्टर झुंझुनूं की आज्ञा संख्या 1146–50 दिनांक 25.04.1977 द्वारा एवं राजस्थान सरकार की आज्ञा संख्या 2 (53)राज/3/77 दिनांक 08.04.1977 द्वारा जरिये रसीद संख्या 74 दिनांक 30.04.1977 के जमा होने पर दिनांक 30.04.1977 को पट्टा संख्या 74 कुल क्षेत्रफल 150 वर्गगज का जारी किया हुआ है। उक्त दोनो आवासीय पट्टे प्रार्थी के पिता के नाम से जारी किये गये हुए है। मौके पर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 182 रकबा 4.25 हैक्टेयर बसी हुई है जिसमे करीब 30–35 परिवार मय परिवार पक्के मकानात् बना रखे है मय परिवार रहवास कर रहे है। मौके पर रहवास करने वाले लोगों के पास विघुत एवं पानी के कनेक्शन है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब तक प्रार्थीगण के पास ग्राम पंचायत अजीतगढ द्वारा जारी पट्टा सिविल न्यायालय से निरस्त नही करवाया दिया जाता है तब तक प्रार्थीगण को अतिक्रमी नही मान सकते। बहस के दौरान वकील अपीलान्ट ने जिला कलक्टर झुंझुनूं द्वारा विवादित भूमि की किस्म चारागाह से बारानी सोयम मे रूपान्तरित करने हेतु लिखे गये पत्र दिनांक 2.02.1977 एवं जिला कलक्टर झुंझुनूं के आदेश दिनांक 25.04.2977 की प्रति पेश की। वकील अपीलान्ट ने कथन किया कि विवादित भूमि चारागाह न होकर बारानी सोयम है जिसको आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु आंवटन किया गया है। अदालत मातहत को उक्त भूमि पर धारा 91 के तहत कार्यवाही करने के कोई अधिकार नही है। अतः अपील अपीलान्ट्स अपील स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अदालत मातहत नायब तहसीलदार मण्डावा दिनांक 20.04.2021 को निरस्त फरमाया जाकर पुनः सुनवाई हेतु मामला अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि राजकीय किस्म गै0मु0बणी जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई हक नही है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि गैरसायल द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत का पट्टा सं0 63 दिनांक 28.09.1969 को प्रस्ताव सं0 8 के क्रम मे जारी किया गया है तथा उसके पश्चात् दिनांक 30.07.1977 को ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव सं0 9 एवं जिला कलक्टर झुंझुनूं की आज्ञा सं0 1146–50 दिनांक 25.4.77 एवं राज्य सरकार की आज्ञा सं0 2 (53)राज/3/77 दिनांक 08.04.1977 की पालना मे जारी किया गया है। जबकि जिला कलक्टर द्वारा विवादित भूमि की किस्म चारागाह से बारानी सोयम मे रूपान्तरित करने हेतु दिनांक 02.02.1977 को लिखा गया है एवं जिला कलक्टर द्वारा ग्राम पंचायत को आदेश दिनांक 25.04.1977 द्वारा आबादी विस्तार हेतु भूमि आंवटित की है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पट्टे को सही नही माना जा सकता है। विवादित भूमि की किस्म गै0मु0 बणी (चारागाह) रही है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी

जिला कलक्टर झुंझुनूं

...का रिकार्ड पर भी उल्लेख नही है। जमाबन्दी मे भी विवादित भूमि की किस्म आबादी दर्ज नही ... ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। ... निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/8/21

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुन्झुनू